

12/9/19 पत्रावली पेश की वकालत अधिनियम उपलब्धि  
सहाय्य करने में उच्च न्यायालय सिद्ध  
एवं सुनवाई के लिए जोया भाज सुपाधीत नहीं  
होने से सिद्ध नहीं हो सकी। इसलिये  
वकील को उक्त अवधि में कागजी  
पेशी पर सिद्ध हो सुपाधीत नहीं  
प्रतिक्रिया के तदनुसार उक्त अवधि में  
कागजी पेशी पर सिद्ध करेगे एवं  
समाप्त हो जाने अवधि के समाप्त पर  
पैरा करेगा पत्रावली वाले सिद्ध होने  
एवं समाप्त पर पेशी होने वाले दिनांक  
30/9/2019 को पेश की। RY

30/9/19 पत्रावली पेश हुई उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त  
पत्रावली वाले सिद्ध होने के समाप्त पर उक्त  
पेश होने दिनांक 16/10/19 को पेश की। RY

6/10/19 पत्रावली पेश हुई उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त उक्त  
को माननीय न्यायालय अधिनियम विधेयक महोदय, राजस्व  
मंडल राज. हाजमे के भला तलब की वी डाल  
मिजवाये जाने की कार्यवाही पूर्व कर एतदनुसार पत्रावली  
को उक्त माननीय न्यायालय को लानकारी की  
जारी है पत्रावली केवल उक्त है। RY

उपसंहार अधिकारी  
घोद नु. सीकर



साधारण नियम (दाण्डिक), नियम 1980  
प्ररूप संख्या XXVI  
(नियम 142 और 159)  
अभिलेख के प्रेषण के लिए प्ररूप

प्रेषक:  
उपखण्ड अधिकारी,  
धोद मु.सीकर (सीकर)

प्रेषिति:  
श्रीमान् निबंधक महोदय,  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर (राज.)

क्रमांक / / रीडर / 2019

तारीख: 10.2019

आपके न्यायालय के प्रकरण संख्या 5163/2019 उनवान हरदयालसिंह बनाम दुर्गाप्रसाद में आपका अध्यक्ष पत्र संख्या निग/टीए/5163/19/सीकर/11.12.2019 द्वारा प्राप्त हुआ था। निम्न अभिलेख इसके साथ अग्रेषित किया जाता है। कृपया इससे संलग्न इस पत्र की दूसरी प्रति पर अभिलेख की प्राप्ति अभिस्वीकृति करें। मूल अभिलेख, इसकी आवश्यकता समाप्त होने के पश्चात्, कृपया अविलम्ब वापिस किया जावे।

क्र. सं.	भेजे गये अभिलेखों की विशिष्टियां					टिप्पणियां
	न्यायालय का नाम	संख्या और वर्ष	प्रकरण की किस्म	शीर्षक	निपटारे की तारीख	
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर (सीकर)	21/2014	दावा	हरदयालसिंह बनाम दुर्गाप्रसाद आदि	10.09.2018	-

संलग्न- कुल पृष्ठों सहित मूल पत्रावली



(सजपाल यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
धोद मु. सीकर

अभिलेख-प्राप्ति की अभिस्वीकृति

ऊपर वर्णित दिया गया अभिलेख इस न्यायालय में ..... को प्राप्त हुआ था और अभिलेख-प्राप्ति के रजिस्टर में संख्या ..... तारीख ..... के अधीन प्रविष्ट कर लिया गया है।

तारीख .....

पद

पं. सं. - 102-10,000-01

दस्ता

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

विषय/संज्ञा/प्रकार का पत्र सं. 5/63/19/राज/11/12/19

17-SEP-2019

S.O.  
छोड़, मात्र 5891

15/10/19



हरदमाल सिंघ

बनाम

कुलपिताड

S.O. छोड़

संज्ञा/निम्नानो, विषय आदेश

दिनांक 16-6-19 वाद सं. 21/2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत वाद में इस न्यायालय के द्वारा जारी स्मरण पत्र क्रमांक  
दिनांक - के तन्मर्ष में लेश है कि आपके न्यायालय की निम्नलिखित पत्रावलिियां मण्डल में नियम  
दिनांक 11-2-19 से पूर्व मिजवाले की व्यवस्था करें।

वाद संख्या	किस्म मुकदमा	चिह्न सं.	निर्णय दिनांक
21/2019	हरदमाल/सिंघ/कुलपिताड	16-6-19	

Web Copy - Not Official

सी.ए.  
11/10/19

निष्पत्तक,  
राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर।